न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभुराम 2. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभुराम 3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभुराम जाति जाट, निवासी-भोपालगढ तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2018 जो तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 308/2017-18 अनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र सिंह वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 07.06.2019

अपीलान्ट सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभुराम जाति जाट निवासी भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को प्रकरण संख्या 308/2017-18 बअनवान सरकार बनाम सुरेन्द्रसिंह में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी भोपालगढ ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) के खसरा नम्बर 1800 रकबा 6.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर कृषि वर्ष 2074 में अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर बिना अपीलान्ट को तामिल करवाये एक तरफा सुनवाई कर आदेश दिनांक 25.01.2018 पारित कर अपीलान्ट को सिविल सजा देने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में

कानूनी एवं वाक्याती भूल करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को नोटिस तामिल नहीं करवाने, अपीलान्टस को अलग अलग नोटिस जारी नहीं कर तीनों अपीलान्टस को एक ही नोटिस जारी कर सभी की तामिल मानकर आदेश पारित करने, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना छपे छपाये प्रोफार्मा में खाली स्थानों को हाथ से भरकर कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना आदेश पारित किया जाने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में अपीलान्ट को बेदखल करने का वर्ष प्रकरण संख्या बताये व हल्का पटवारी के बयान नहीं करवाकर बिना प्रक्रिया अपना ये कठोरतम सिविल कारावास के आदेश देने, खसरा नम्बर 1800 में अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की खरीदसुदा 6 बीघा कब्जा काश्त भूमि की बिना जांच पड़ताल किये व उक्त खसरे की तरमीम नहीं किये बिना अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को कब्जा मानकर आदेश पारित करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2018 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्टस स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ जे.बी. के खसरा नम्बर 1800 रकबा 6.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्टस द्वारा जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्टस की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) के खसरा नम्बर 1800 रकबा 6.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्टस का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते

हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्टस ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है या 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार भोपालगढ को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर